एक नजर

धारा - 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

धार,(निप्र)। जिला दण्डाधिकारी आलोक कुमार सिंह ने सम्पूर्ण धार जिले की राजस्व सीमा के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों का अथवा बिना लायसेंस पूर्णतः वर्जित है। चीन एवं अन्य विदेशी निर्मित सभी प्रकार के पटाखों का भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय पूर्ण रूप से वर्जित है। इनका अधिग्रहण, परिवहन एवं विक्रय पूर्ण रूप से अवैध है। विस्फोटक अधिनियम की धारा-9-बी (1) (ब) के अन्तर्गत इस प्रकार के अवैध पटाखों के भण्डारण, वितरण, विक्रय तथा उपयोग किए जाने पर 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। चीनी एवं अन्य विदेशी पटाखों के भण्डारण, परिवहन तथा विक्रय करने पर कानूनी प्रावधानों के अन्तर्गत सख्त कार्यवाही की जावेगी। आदेश से व्यथित व्यक्ति दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 (2) के अन्तर्गत 7 नवम्बर से 7 दिसम्बर 2020 तक जिला दण्डाधिकारी धार के न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेगा।

रिटर्निंग ऑफिसरों की नियुक्ति

धार,(निप्र)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार सिंह ने 10 नवम्बर को शासकीय पोलीटेक्निक महाविद्यालय धार में होने वाली मतगणना के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बदनावर को रिटर्निंग ऑफिसर, तहसीलदार बदनावर तथा नायब तहसीलदार नागदा तहसील बदनावर को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर तथा तहसीलदार सरदारपुर, धार, नायब तहसीलदार सरदारपुर, धार तथा नायब तहसीलदार कानवन तहसील बदनावर को अतिरिक्त सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया है।

कुक्षी का किराना व्यवसायी लापता

एसडीएम व उनकी पत्नी द्वारा मेरे पति को प्रताड़ित किया जाता था-प्रीति धाड़ीवाल

कुक्षी, (निप्र)। नगर के धार-चिखलदा मार्ग किराना व्यवसायी राजेश प्रेमचन्द धाड़ीवाल विगत 2 दिनों पहले घर से बिना बताए कही लापता है।

मामले में राजेश धाड़ीवाल की पत्नी प्रीति धाड़ीवाल ने बताया कि उनकी किराना दुकान से कुक्षी के आईएएस एसडीएम विवेक कुमार के निवास पर किराना सामग्री प्रिंट मूल्य से भी कम कीमत में दी जाती थी जिसके बावजूद एसडीएम व उनकी पत्नी द्वारा मेरे पति राजेश को सामान की क्वालिटी व उसके भाव को लेकर प्रताड़ित किया जाता था। कई बार उनकी डिमांड के अनुसार कोई किराना सामग्री हमारे यहां नहीं होने पर भी उन्हें वही सामग्री अन्य जगहों से लाकर लाये गए भाव से भी कम मूल्य में मेरे पति राजेश उन्हें उपलब्ध करवाते थे। उन्होंने बताया कि पता नहीं वे इतने बड़े अधिकारी होकर भी मेरे पति से क्या चाहते थे उनके इस व्यवहार से परेशान होकर बीते दिनों 2 नवम्बर को मेरे पर एसडीएम विवेक कुमार के निवास पर जाकर उनके कर्मचारियों को कह आये थे कि अब कोई भी किराना सामग्री में साहब को उपलब्ध नहीं करवा पाऊंगा। इसलिए अब आप कोई भी सामग्री लेने मेरी दुकान पर मत आना... जिसके बाद एसडीएम साहब के बुलाने पर मेरे पति राजेश उनके आफिस में उनसे मिलने गए थे जिसके बाद बन्द कैबिन में एसडीएम और मेरे पति के बीच में क्या बात हुई उन्होंने किसी से नहीं कही। उसके बाद से वे मानसिक तौर से परेशान भी रहने लगे थे। 5 नवम्बर को शाम 4.30 बजे घर छोड़कर कहीं चले गए है।

इस मामले में लापता किराना व्यवसायी की पत्नी प्रीति ने 6 नवम्बर को पुलिस थाने में शिकायती आवेदन भी दिया है जिसमे कहा गया है कि एसडीएम व उनकी पत्नी द्वारा उन्हें मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा था।

लापता होने के बाद राजेश धाड़ीवाल एवं उनकी पत्नी प्रीति के बीच हुई बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमे राजेश बहुत ही व्यथित होकर उनके साथ एसडीएम द्वारा किये गए व्यवहार को लेकर बात करते है जिसमे उनकी पत्नी कहती है कि आप किसी भी हालत में कोई गलत कदम मत उठाना और आप घर आ जाओ घर पर अपनी बच्चियां भी आपके जाने से परेशान हो रही है।

* वहीं इस मामले को लेकर थाना प्रभारी कलम सिंह गहलोत ने बताया कि राजेश धाड़ीवाल की पत्नी द्वारा अपने पति की गुमशुदगी को लेकर सूचना दी गई जिस पर पुलिस थाना कुक्षी द्वारा उन्हें ढूंढा भी जा रहा है।

* राजेश धारीवाल द्वारा मेरे निवास पर अभद्रता की गई थी – एसडीएम

सोशल मीडिया में जारी ऑडियो वीडियो पूरी तरह से गलत है और मेरे द्वारा किसी भी प्रकार से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और ना ही करना है। राजेश धाड़ीवाल जहां कहीं भी हो वे घर पर आ जाएं अपने परिवार का ख्याल करें एवं अपने परिवार की चिंता करें एवं अपना

स्कूलों में अभी तक नही हो पाई रंगाई -पुताई

झाबुआ,(निप्र)। झाबुआ कलेक्टर रोहित सिंह द्वारा दिये गये निर्देशानुसार कोरोना संकट के समय वर्तमान में मीडिल क्लास देरी से शुरू की गई है। जिसमें उनके द्वारा दिये गये निर्देश में स्कूलो के रंगरोगन पुताई के कार्य को जल्द से जल्द पुरा किया जाना था। लेकिन जिला प्रशासन के निर्देशो को हवा में उड़ाते हुये वर्तमान मे कई स्कूलो पर अभी भी पुताई कार्य शेष बचा हुआ है। जिसमें स्कूल प्राचार्य इस बारे में कहते है कि त्यौहारो के सीजन के चलते पुताई वाले नही मिल पा रहे है लेकिन उन्हे यह निर्देश विगत दो से तीन माह पूर्व ही मिल चुके थे। जिस पर से अगस्त माह तक मे तो आसानी से पुताई कार्य करने वाले मिल जाते है। वही कलेक्टर के आदेशों की अवहेलना करने पर स्कूल प्रबंधन पीछे नहीं हट रहे है। उनके द्वारा अपनी गलती को छुपाने के लिये अनगिनत बहाने भी प्रस्तुत कर रहे है।

आमजन को दी विधिक सहायता एवं सलाह

धार,(निप्र)। कानून की जानकारी प्रत्येक परिवार को होनी चाहिए, तभी धीरे-धीरे मोहल्ला, गांव, शहर और देश जागरूक होगा और इस कार्य में पैरालीगल वालेंटियर्स द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। अपर सत्र न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार राजाराम बड़ोदिया ने बताया कि नालसा के निर्देशानुसार धार जिले में एवं समस्त तहसील में कुल 85 पैरालीगल वालेंटियर्स की नियुक्ति की गई है। जिसके अंतर्गत जिले एवं समस्त तहसील में लीगल एंड क्लीनिक की स्थापना कर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धार द्वारा आमजन के कानून एवं अपने अधिकारों के प्रति जगारूक किया जाना एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की संचालित योजनाओं के प्रचार-प्रसार किया गया है। श्री बड़ोदिया ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली (नालसा) द्वारा प्रावधानित की गई पैरालीगल वॉलेंटियर्स योजना संपूर्ण देश में संचालित है योजनांतर्गत प्रत्येक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे कर्मठ, समाजसेवी, समर्पित व्यक्तियों का चयन किया जाता है जो स्वंय सेवक के रूप में प्राधिकरण के बैनर तले समाज के कमजोर निःशक्त, निरक्षर, निर्योग्य व्यक्तियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते है। साथ ही आधारभूत सेवाओं जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, पथ-विक्रेता कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास, वोटर आई डी कार्ड, बैंक खाते आदि को तैयार किए जाने में उनकी सहायता करते है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, धार से संबद्ध पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा एक वर्ष 01 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2020 तक के अपने कार्यकाल में कुल 10,486 लोगों को विधिक सहायता एवं सलाह प्रदान की गई जिसके अंतर्गत 145 आय प्रमाण पत्र, 92 जाति प्रमाण पत्र, 89 मूल निवासी प्रमाण पत्र, 384 आधार कार्ड, 119 राशन कार्ड, 43 वोटर आई डी, 212 समग्र आईडी, 226 बैंक खाते एवं 9176 अन्य सहायता एवं सलाह प्रदान की गई है। पैरालीगल वॉलेंटियर्स द्वारा अपने कार्यकाल में समस्त तहसीलों एवं जिले में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर की योजनाओं का प्रचार प्रसार किया गया है

वे जहां भी जाते हैं वसुंधरा का श्रृंगार करते हैं

डही, (निप्र)। उनके द्वारा लगाए गए कई पौधे आज पेड़ का रूप अख्तियार कर चुके हैं तो कई पौधे ऐसे हैं जो 20- 20 फीट ऊंचे हो चुके हैं। पर्यावरण की बेहतरी के लिए वे सदैव वसुंधरा का श्रृंगार करते हैं।

हम बात कर रहे हैं डही के विकासखंड शिक्षा अधिकारी सतीशचंद्र पाटीदार की। इनके द्वारा विकासखंड शिक्षा कार्यालय में 4 साल पहले लगाए गए पौधे आज 20-20 फीट ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं तो वहीं प्रांगण में कई छोटे पौधे अच्छी देखभाल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वे पौधों की बच्चों की तरह देखभाल करते है। प्रांगण में नित्य साफ- सफाई कर हमेशा अपने अधीनस्थ अमले का हौसला बढ़ाने वाले व उनको पर्यावरण की तरफ प्रेरित करने वाले बीईओ सतीशचंद्र पाटीदार ने क्षेत्र के छात्रावास, आश्रम शालाओं में भी पर्यावरण की बेहतरी के लिए अच्छा काम किया है। वहीं इसके पूर्व वे कुक्षी के कन्या हायर सेकंडरी स्कूल में पदस्थ थे। वहां भी रहते हुए उन्होंने कई पौधे लगाए थे जो आज कुक्षी के परिसर को आकर्षित व सुशोभित कर रहे हैं। वे निरीक्षण पर भी जब कहीं जाते है तो साफ-सफाई के लिए खुद जुट जाते हैं फिर शिक्षक व अन्य कर्मचारियों को भी प्रेरित करते है। उनका कहना है कि प्रकृति के तीन अंग जल, जंगल और वायु हैं। यही तीनों इंसान की जीवन रेखा हैं। पौधे केवल लगाना नहीं, बल्कि उन्हें जिंदा रखना आवश्यक है। यह प्रकृति की सेवा है।

विकासखंड शिक्षा कार्यालय डही में बीईओ सतीश पाटीदार अपने द्वारा लगाए पौधे के साथ जो अब काफी बड़ा हो चुका है।

ट्रेक्टर की टक्कर से मृत हुई बालिका। वृद्ध की सांप के काटने से हुई मृत्यु।

वाहनों की भिड़ंत में एक ग्रामीण की मृत्यु

झाबुआ,(निप्र)। ग्राम पिपलदेहला निवासी ट्रेक्टर के चालक ने लापरवाही एवं तेज गति से वाहन को चलाते हुए घर के बाहर खड़ी कांता पिता मकना परमार उम्र 8 वर्ष के ऊपर टेक्टर चढ़ाने से कांता को सिर में गंभीर चोट लगने पर दुर्घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। बालिका के शव को पोस्टमार्टम हेतु जिला चिकित्सालय लाया गया। जहां पोस्टमार्टम पश्चात शव परिजनों को सौंप दिया गया। घटना में बस स्टैंड झाबुआ के चौकी प्रभारी खलील अहमद पठान ने मामला दर्ज किया है।

अज्ञात चार पहिया वाहन की टक्कर से ग्रामीण की मृत्यु-दूसरी घटना में गुरूवार रात करीब 9 बजे ग्राम भगोर में एक अज्ञात चार पहिया वाहन के चालक ने लापरवाही एवं तेज गति से वाहन चलाते हुए मोटरसाईकिल पर सवार पति-पत्नि और साले को सामने से जोरदार टक्कार मारने से बाईक चालक पति कानसिंह पिता बीसिया वसुनिया उम्र करीब 30 वर्ष को सिर पर गंभीर चोट आने से मौके पर ही मृत्यु होने के साथ साले को भी हाथ, पैरों पर चोटे पहुंची। मृतक एवं गंभीर घायल को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया। जहां गंभीर घायल का प्राथमिक उपचार पश्चात जिला चिकित्सालय में भर्ती करने के साथ मृतक के शव का पोस्टमार्टम अगले दिन 6 नवंबर, शुक्रवार को सुबह हुआ। घटना में अंतरवेलिया चौकी पर अपराध पंजीबद्ध हुआ है।

सर्पदंश से वृद्ध की मौत- तीसरी घटना में झाबुआ विकासखंड के ग्राम सेमलिया में गुरूवार शाम करीब 7 बजे 50 वर्षीय वृद्ध दुलजी पिता अमरनाथ, जो सांप पकड़ने का काम करता है। जहरीला सांप पकड़ने के दौरान काट लेने से उसकी मृत्यु हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम हेतु रात्रि में जिला चिकित्सालय लाया गया। अगले दिन 6 नवंबर, शुक्रवार को सुबह शव का पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया। घटना में झाबुआ थाने पर मर्ग कायम किया गया है।

पुजारी उत्थान एवं कल्याण समिति ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर की मांग

झाबुआ,(निप्र)। श्री पुजारी उत्थान एवं कल्याण समिति शाखा झाबुआ द्वाराजिला मुख्यालय पर कलेक्टोरेट पहुंचकर जिला कलेक्टर रोहित सिंह को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि वर्तमान में जिले के मंदिरों में कार्यरत पुजारी विभिन्न समस्याओं से परेशान है, उनकी समस्याएं जानने के लिए जिला प्रशासन स्तर पर बैठक का आयोजन कर निराकरण की पहल की जाए।

पुजारी उत्थान एवं कल्याण समिति के जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश बैरागी, संरक्षक पं. घनष्याम बैरागी, कोशाध्यक्ष रमेशदास बैरागी, परामर्शदाता रामचरणदास बैरागी, सचिव अश्विन शर्मा, संभागीय अध्यक्ष जयेन्द्र बैरागी आदि द्वारा कलेक्टोरेट में जिला कलेक्टर श्री सिंह को सौंपे ज्ञापन में बताया कि शासन संधारित मंदिर के पुजारियों की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु जिला स्तर पर अतिशीघ्र बैठक आयोजित निराकरण की पहल की जाए। जिले में दबंगों द्वारा आए दिन पुजारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है तथा अधिकांश मंदिरों की कृषि भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। दिन-प्रतिदिन अतिक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। जिले में शासन संधारित मंदिर के पुजारी अत्यंत परेशान है। गांव में पुजारी का एक ही घर रहता है, उससे ही उन्हें दबंगों द्वारा बेदखल करने एवं मंदिरों पर कब्जा जमाने के प्रयास किए जाते है।

पूर्व में होती थी बैठक-ज्ञापन में बताया कि पूर्व में तत्कालीन जिला कलेक्टर के निर्देश पर अपने-अपने अधीनस्थ क्षेत्रों में एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा पुजारियों की बैठक लेकर उनकी समस्याएं जानने के बाद निराकरण के लिए निर्देशित किया गया था, लेकिन वर्तमान में इस तरह की बैठकों का आयोजन नहीं होने से शासन संधारित मंदिर के पुजारी अपने आपको शोषित एवं अकेला महसूस कर रहे है।

उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन-ज्ञापन में मांग की गई कि आप जिलाधीश द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशित कर जिला स्तर पर एक बैठक का आयोजन आगामी 1 से 30 दिसंबर के मध्य यथासंभव आयोजित कर पूजारियों की समस्याओं को जानकार उनके निराकरण की पहल की जाए। ज्ञापन प्राप्त करने के पश्चात इस मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन जिला कलेक्टर श्री सिंह ने समिति को दिया।

बिनोद मिल की चाल के रहवासियो ने की मालिकाना हक देने की मांग

उज्जैन, (निप्र)। बिनोद मिल की चाल के रहवासियों ने मुख्यमंत्री शिवराजसिंह द्वारा नगर निगम चुनाव के दौरान किये गये वादे को पूरा करते हुए मालिकाना हक दिये जाने की माँग की है।शनिवार को रहवासियों द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में पूर्व पार्षद शैफाली राव ने बताया कि हम लोग पिछले 70-80 वर्षों से वैधानिक तरीके से निवास कर रहे हैं। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी इन क्वार्टरों में निवास करते गुजर गयी है। 23 अक्टूबर 2020 को ई-नीलामी विक्रय सूचना को पढ़कर सभी रहवासी हतप्रभ रह गये। सूचना के अनुसार बस्ती को तोड़ कर उसके मलबे की ई-नीलामी 11 नवंबर को की जायेगी और इसके लिए टेंडर भी आमंत्रित किये गये हैं। उक्त आदेश से श्रमिक क्वार्टरों में रहने वाले सभी रहवासी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं तथा उक्त निर्णय लेने के पूर्व किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।

ईटीपीबीएस मतों की गणना के लिए सुपरवाइजर नियुक्त

धार,(निप्र)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आलोक कुमार सिंह ने विधानसभा उप निर्वाचन-2020 विधानसभा क्षेत्र-202 बदनावर के ईटीपीबीएस मतों की गणना 10 नवम्बर को शासकीय पोलिटेक्निक कॉलेज धार में किए जाने के लिए प्राचार्य शासकीय हाईस्कूल कछवानिया जितेन्द्र जोघटा तथा शासकीय हाईस्कूल बगवान्या के प्राचार्य दिनेश चौधरी को सुपरवाईजर नियुक्त किया है। श्री सिंह ने इन प्राचार्यो को निर्देश दिए है कि वे 10 नवम्बर को प्रातः 6.30 बजे मतगणना स्थल पर उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। साथ ही नियुक्ति आदेश की प्रति मतगणना के दिन अनिवार्य रूप से साथ लाऐंगे। इसी के आधार पर गणना स्थल के गेट से प्रवेश दिया जावेंगा। यह अधिकारी मतगणना कार्य की समाप्ति के उपरांत विधानसभा बदनावर के रिटर्निंग अधिकारी की अनुमति के उपरांत ही गणना स्थल से प्रस्थान करेंगे। कोविड-19 की महामारी के संबंध में प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की गाईड लाईन में दिए निर्देशों का पालन अनिवार्यतः किया जावें।

CORRIGENDUM
GORANI INDUSTRIES LIMITED
CIN : L28121MP1995PLC009170
Regd. Office: Plot No. 32-33, Sector-F,
Sanwer Road, Industrial Area,
Indore - 452015 (M.P.) - India
website - www.goraniindustries.com.
email-id- gorani.industries@yahoo.com
Telephone No.- 0731-2723201 Fax- 2723200

Refer to the advertisement of the Unaudited Financial Results published in this newspaper on 07.11.2020. Due to inadvertent mistake, in the heading of said publication, it was mentioned 'Audited Financial Results for the Quarter and Year ended 31st March 2020' instead of 'Unaudited Financial Results for the Quarter and Half Year ended 30th September 2020'. All other content remains unchanged.

Sanjay Gorani
Managing Director
DIN:00055531
Date : 08-11-2020
Place: Indore

नाम परिवर्तन
विवाह पूर्व मेरा नाम दीपमाला पिता रामभाऊ बांगर था विवाह पश्चात मेरा नाम **दीपाली सानप** पति **कैलाश सानप** हो गया है अब से मुझे मेरे नये नाम **दीपाली सानप** से जाना जाता है।
पता 540/ए. तुलसी नगर, इंदौर

आम सूचना

आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि संजय आर. खण्डेलवाल को 57475 मेट्रिक टन प्रति वर्ष चूना पत्थर खनन हेतु ग्राम बलवारीकला तहसील गंधवानी जिला धार म.प्र. में सर्वे नं. 1 रकबा 4.900 हेक्टर पर स्टेट इन्वारमेंट इम्पेक्ट असीसमेंट अथॉरिटी एम.पी. के आदेश क्र. 4539/एसईआईएए /20 दिनांक 27.10.2020 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति की प्रतिलिपि राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड पर उपलब्ध है एवं स्टेट इन्वारमेंट इम्पेक्ट असीसमेंट अथॉरिटी एम.पी. की वेबसाईट -.... पर देखी जा सकती है।

संजय आर. खण्डेलवाल
धार रोड मनावर जिला धार (म.प्र.)
पिनकोड- 454446

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी/नजूल अधिकारी नगर क्षेत्र धार जिला धार (म.प्र.)

क्रमांक/2056/रीडर/2020
धार, दिनांक 22.10.2020
प्रकरण क्रमांक/अ-20 (4) 2020-21

विज्ञप्ति

नगर धार की सर्व साधारण जनता को सूचित किया जाता है कि नगर पालिका सीमा के भीतर निम्न अनुसूची में उल्लेखित व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर भवन/खण्डहर/भू-खण्ड पर भवन निर्माण किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र की मांग की गई है।

अतः अनुसूची में उल्लेखित स्थान पर निर्माण किये जाने पर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति के प्रकाशन के 15 दिवस के अंदर आपत्ति स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। समय सीमा पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

अनुसूची

क्र.	भूमि स्वामी का नाम	वार्ड क्र.	ग्राम/मोहल्ले का नाम	भू-खण्ड भवन खण्डहर सर्वे क्र.	रकबा
1	तुलसीसिंह पंवार पिता बापूसिंह पंवार 7/2 भोजमार्ग [illegible] धार	19	भोजमार्ग धार	पुराना 12 नया 06	720 वर्गफीट

यह विज्ञप्ति मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पद मुद्रा से आज दिनांक 22/10/2020 को जारी।

अनुविभागीय नजूल अधिकारी
नगर क्षेत्र धार जिला धार

MC MEDI-CAPS LTD.
REGD. OFFICE: MHOW-NEEMUCH ROAD, SECTOR-1, PITHAMPUR-454775, DISTT. DHAR (M.P.) Tel: 07292-256205, Fax: 0731-4041435
Website: www.medicaps.com Email: investors@medicaps.com CIN: L70100MP1983PLC002231

STANDALONE & CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED ON 30.09.2020
(See Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015)

(₹ in Lakhs except EPS)

PARTICULARS	STANDALONE			CONSOLIDATED		
	QUARTER ENDED	YEAR TO DATE	CORRESPONDING 3 MONTHS IN P.Y.	QUARTER ENDED	YEAR TO DATE	CORRESPONDING 3 MONTHS IN P.Y.
	30/09/2020 (Unaudited)	30/09/2020 (Unaudited)	30/09/2019 (Unaudited)	30/09/2020 (Unaudited)	30/09/2020 (Unaudited)	30/09/2019 (Unaudited)
Total income from operations	0.00	0.00	386.86	1483.58	2703.41	1301.64
Net Profit / (Loss) for the period (Before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	0.00	0.00	-516.82	512.37	550.54	-223.85
Net Profit / (Loss) for the period Before Tax (After Exceptional and/or Extraordinary items)	0.00	0.00	-316.82	312.37	550.54	-223.85
Net Profit/(Loss) for the period After Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	0.00	0.00	-318.46	312.37	550.54	-225.47
Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after Tax))	19.15	24.87	-297.08	359.80	643.62	-192.13
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs. 10/- each)	1247.00	1247.00	1247.00	1247.00	1247.00	1247.00
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Audited Balance Sheet of previous year)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) Basic:	0.15	0.20	-2.38	2.89	5.16	-1.54
Diluted:	0.15	0.20	-2.38	2.89	5.16	-1.54

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Half yearly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Half yearly Financial Results are available on website of Company www.medicaps.com and on website of exchange www.bseindia.com.

Place : Indore
Date : 07.11.2020

For, MEDI-CAPS LIMITED
ALOK K. GARG
MANAGING DIRECTOR
DIN: 00274321

ANIL PUB.